झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–71 / 2020

छोटू गोप उर्फ चोटू गोप .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: कोई नहीं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

06 / 04.12.2020

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार उपस्थित हैं।

2. विपक्षी पक्ष झारखण्ड राज्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

3. याचिकाकर्त्ता की ओर से गुमला थाना काण्ड संख्या 161 / 2018 तद्नुसार, जी0आर0 वाद संख्या 633 / 2018 (एस0टी0 संख्या 328 / 2018), भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (डी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दर्ज, जो किशोर न्यायालय वाद संख्या 3 / 2019 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुमला के न्यायालय में लम्बित है, के संबंध में जमानत याचिका दायर किया गया है।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वे वर्तमान जमानत याचिका को संचालित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश को किशोर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। वे निवेदन करते हैं कि कथित आदेश के विरूद्ध अपील होता है और जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। तद्नुसार, वे निवेदन करते हैं कि जमानत आवेदन गलती से दायर की गई है।

5. याचिकाकर्त्ता की ओर से की गई वापसी के लिए प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए इस जमानत आवेदन को वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है। यद्यपि याचिकाकर्त्ता के लिए विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय के रूप में विधि का सहारा लेने के लिए खुला रहेगा।

6. इस आदेश की एक प्रति विद्वान निम्न न्यायालय को फैक्स के द्वारा प्रेषित करें।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)